झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांकः-04/कृ0के0यो0(TRFA)-21/2024 106 /कृ0, राँची, दिनांक- 01-01-2025

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

झारखण्ड, रांची।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित Food and Nutrition Security (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) अन्तर्गत Targeting Rice Fallow Area (TRFA)-Pulses योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रू. 607.67 लाख, राज्यांश रू. 405.11 लाख इस प्रकार कुल रू. 1012.78 लाख (दस करोड़ बारह लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-62 दिनांक-04.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित Food and Nutrition Security (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन) अन्तर्गत Targeting Rice Fallow Area (TRFA)-Pulses योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश रू. 607.67 लाख, राज्यांश रू. 405.11 लाख इस प्रकार कुल रू. 1012.78 लाख (दस करोड़ बारह लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त आवंटन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-03-05/2024-KY दिनांक-27.09.2024 के द्वारा प्रथम किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश कुल रू. 618.24 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।

2. आवंटित राशि की निकासी वर्तमान वर्ष 2024-25 में संगत बजटशीर्ष से निम्न तालिका के स्तम्भ-4 के अनुरूप लघुशीर्षवार की जाएगी :- **(राशि लाख रू0 में)**

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-A1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उपयोजना शीर्ष-02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100796A1020652	741.915	**162.04**
	52-सबसिडी 01S240100796A1020652	494.610	**108.03**
2.	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष- A1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उपयोजना शीर्ष-02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100102A1020652	370.958	**370.95**
	52-सबसिडी 01S240100102A1020652	247.310	**247.30**
3.	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- A1-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उपयोजना शीर्ष-02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100789A1020652	123.652	**74.68**
	52-सबसिडी 01S240100789A1020652	82.430	**49.78**
	योग	**2060.875**	**1012.78**

(दस करोड़ बारह लाख अठहत्तर हजार रूपये) मात्र।

102

3. आवंटित राशि का व्यय योजना मार्गदर्शिका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–03-05/2024-KY दिनांक–27.09.2024 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों तथा इस संबंध में State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक–21.03.2024 को अनुमोदित प्रस्ताव/कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. आवंटित राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। State NFSM Cell हेतु स्वीकृत/आवंटित राशि के लिए कृषि निदेशक, झारखण्ड निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति हेतु SNA SPARSH model की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के वित्त विभागीय परिपत्र–2561 दिनांक–17.04.1998, 118 दिनांक–12.01.2007 के साथ–साथ अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/कोषागार संहिताओं का अक्षरशः अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना अंतर्गत राशि का व्यय बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं किया जायेगा। राशि की अनियमित निकासी/व्यय एवं विचलन तथा योजना का दोहरीकरण होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत/आवंटित राशि के अंतर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय समर्पित करना होगा।

8. व्यय से संबंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित आत्मा द्वारा किया जाएगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जाएगा। महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को व्यय की गयी राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा, जिसे राज्य मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् राज्य मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी रा0खा0सु0मि0 जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके उसे संकलित करके तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति मदवार विस्तृत वित्तीय/भौतिक प्रतिवेदन सहित कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

10. आवंटित राशि की निकासी संबंधी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष, समूहशीर्ष, लघुशीर्ष, एवं उपशीर्ष का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। अन्य लेखा आंकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों का उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं0–62 दिनांक–04.09.2024 की सभी शर्त्तों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

106
01-01-2025

ज्ञापांक–04/कृ0के0यो0(TRFA)–21/2024 106 /कृ0, राँची, दिनांक–01-01-2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0के0यो0(TRFA)–21/2024 106 /कृ0, राँची, दिनांक–01-01-2025

प्रतिलिपिः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई–मेल आई0डी0–directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0के0यो0(TRFA)–21/2024 106 /कृ0, राँची, दिनांक–01-01-2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, झारखण्ड/संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/संबंधित जिलों के परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा–4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 04/KKY-21/2024/106 दिनांक - 01-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 240100102A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 102 - खाद्यान्न फसलें A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78928	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	37,095,000.00 रुपये तीन करोड सत्तर लाख पिनच्यानवे हजार
2	S 01 240100102A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 102 - खाद्यान्न फसलें A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78931	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	24,730,000.00 रुपये दो करोड सैतालीस लाख तीस हजार
3	C 01 240100789A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78929	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	7,468,000.00 रुपये चौहत्तर लाख अडसठ हजार

योग: रुपये छः करोड बयानवे लाख तिरनावे हजार 69,293,000.00

क्रमिक योग:

(KUMAR TARACHAND)
DIRECTOR OF AGRICULTURE

 61.246.16.56 Run Date: 1/1/2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 01 240100789A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78932	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	4,978,000.00 रुपये उनचास लाख अठहत्तर हजार
5	C 01 240100796A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78927	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	16,204,000.00 रुपये एक करोड बासठ लाख चार हजार
6	S 01 240100796A1020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना A1 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 02-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा 06 - अनुदान **Centeral Scheme (State Share)** State Scheme : NATIONAL FOOD SECURITY MISSION(0953) Centeral Scheme : KRISHIONNATI YOJANA(4138)	78930	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	10,803,000.00 रुपये एक करोड आठ लाख तीन हजार

योग: रुपये दस करोड बारह लाख अठहत्तर हजार — 31,985,000.00

क्रमिक योग: 101,278,000.00

(KUMAR TARACHAND)
DIRECTOR OF AGRICULTURE